राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5) विभाग

प014(49)कार्मिक/क–5/2016 जयपुर,दिनांकः 05-10-16

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त एवं
समस्त जिला कलेक्टर्स।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा जन समस्याओं के निराकरण हेतु नियमित रूप से जन सुनवाई की जा रही है। दिनांक 09.09.2016 को जन सुनवाई के दौरान यह प्रकरण ध्यान में आया है कि राज्य कर्मचारियों के कई प्रकरण यथा–सेवा संबंधी, स्थानान्तरण एवं समय पर डीपीसी के आयोजन, पदोन्नति, वेतन निर्धारण तथा सेवानिवृति के लाभ के संबंध में विभिन्न विभागों में लम्बित चल रहे है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रशासनिक विभागों को दिन–प्रतिदिन के सेवा संबंधी प्रकरणों के निष्पादन हेतु तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। यदि कर्मचारियों के उक्त प्रकरणों का निस्तारण समय पर हो जाता है तो इससे वादकरण संबंधी कार्यवाही भी स्वतः कम हो जायेगी और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के समय एवं धन की भी बचत होगी।

अतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य कर्मियों के सभी प्रकार के लम्बित मामले दिनांक 30.11.2016 के पश्चात् विभागाध्यक्ष स्तर पर, जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर लम्बित नही रहने चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह भी निर्णय लिया गया है कि **कर्मचारी कल्याण अभियान** दिनांक 07.10.2016 से दिनांक 30.11.2016 तक चलाया जाये। जिसमें कर्मचारियों के सेवा संबंधी समस्त उपरोक्त वर्णित प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा और इनके निस्तारण के लिये संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी शासन सचिवगण उत्तरदायी होगें।

अतः समस्त अति0 मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त एवं समस्त जिला कलेक्टर्स को यह निर्देश दिये जाते है कि कृपया उक्त कर्मचारी कल्याण अभियान दिनांक 07.10.2016 से 30.11.2016 तक आयोजित करने के संबंध में वे अपने स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी कर समस्त समुचित व्यवस्था कर इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास करे तथा इस संबंध में प्रक्रिया आदि निर्धारित कर की गई कार्यवाही से इस विभाग को दिनांक 14.10.2016 तक निश्चित रूप से अवगत करावें।

(ओ.पी. मीना)
मुख्य सचिव

www.rajteachers.com